वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 21.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, जनसंदेश टाइम्स, " समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 21.07.2024

वीडीए ने 65 किराएदारों को दिया क्यूआर कोड

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण अपने संपत्तियों का किराया समय पर लेने और किराएदारों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड जारी किया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए अपनी कई संपत्तियां किराए पर दी है। मासिक और बकाया किराया लेने के लिए वीडीए की ओर से rent.vda.pms.in साफ्टवेयर लांच किया है। उसी क्रम में 65 किराएदारों के आवास पर सुरक्षित स्थान पर क्यूआर कोड चस्पा किया गया। इससे किराएदार को वीडीए का चक्कर नहीं लगाना होगा। (जासं)

दैनिक जागरण–दि0 21.07.2024

विकास प्राधिकरण ने आरटीआइ के बारे में बताया

वाराणसी : जन सूचना का अधिकार को लेकर शनिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया है। सेंटर फार एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लखनऊ के सेवानिवृत्त राजेश कुमार मेहता ने वीडीए कर्मचारियों को आरटीआइ के बारे में जानकारी दी। बताया कि क्या सूचना देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। नहीं देने से क्या नुकसान होगा आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने बताया कि जन सूचना का अधिकारी नियम आने के साथ हम अब कोई बात छिपा नहीं सकते हैं। यदि कोई सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगता है तो उसे हमें जल्द से जल्द देना चाहिए। बैठक में संयुक्त सचिव व प्रभारी अधिकारी जनसूचना परमानंद यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार समेत कर्मचारी मौजूद थे। (जासं)

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 21.07.2024

65 किरायेदारों के यहां क्यूआर कोड चस्पा

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर पिछले दिनों वीडीए की किराये की संपत्तियों पर बकाया और मासिक किराया आसानी से वीडीए के खाते में जमा हो सके। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। शनिवार को संपत्ति विभाग की ओर से 65 किरायेदारों के यहां क्यूआर कोड चस्पा कर दिया गया। अब आवंटी अपना बकाया और मासिक किराया घर बैठे वीडीए के खाते में जमा कर सकेंगे। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 21.07.2024

वीडीए ने रामभट्ट तालाब से हटवाया अतिक्रमण

वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त एवं जोनल अधिकारी वरुणापार अनिल यादव के नेतृत्व में शनिवार को शिवपुर स्थित रामभट्ट तालाब से अतिक्रमण हटावाया गया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि तालाब की भूमि पर कथित बाबा ने अवैध निर्माण करा लिया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। पास के धर्मशाला को भी कब्जा मुक्त कराया।

जनसंदेश टाइम्स– 21.07.2024

वीडीए ने चस्पा किया क्यूआर कोड, मासिक किराया जमा करें

वाराणसी। वीडीए किरायेदार अब मासिक किराया आसानी से जमा कर पायेंगे। इसके लिए वीडीए ने जहां साफ्टवेयर लांच किया है,वही इसके लिए शनिवार को क्यूआर कोड़ भी जारी कर उनके आवासों पर चप्पा भी कर दिया हैं। इसको लेकर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वा०वि०प्रा० के किराए की संपत्तियों पर बकाया किराया एवं मासिक किराया को आसानी से वीडीए के खाते में जमा करने हेतु रेंट डाट वीडीए डाट पीएमएस डाट इन सॉफ्टवेयर लांच कर दिया है।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 21.07.2024

वीडीए जल्द देगा ऑनलाइन सीलिंग और अवाप्ति पाने की सुविधा

वाराणसी। वीडीए आनलाईन सीलिंग और अवाप्ति की अनापत्ति प्रदान करने की सुविधा जल्द देगा। इसके लिए विभाग तेजी से तैयारी कर रही है। इस व्यवस्था से जहां लोग घर बैठे ही अपने भूमि नगरीय सीलिंग या वीडीए द्वारा अवाप्त है कि नही इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वीडीए वर्तमान समय में नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमियों का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वीडीए ने परिकल्पित परियोजनाओं को मूर्तरूप देने हेतु जहां पूर्व में भू-अवाप्त किया है, वहीं भविष्य में भू-अवाप्त करने की कार्यवाही सतत रूप से गतिमान रहती है। इसके लिए अपनी भूमि के सीलिंग और अवाप्त घोषित भूमि में सम्मिलित नहीं होने से लोग आसानी से अवगत होंगे जबकि उसमें रहने के विषय में स्पष्ट जानकारी भी मिल जाती हैं। जिससे लोगो का समय बेवजह नष्ट नही होता है।

हिन्दुस्तान–दि0 21.07.2024

वीडीए ने रामभट्ट तालाब से हटवाया अतिक्रमण

वाराणसी। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त एवं जोनल अधिकारी वरुणापार अनिल यादव के नेतृत्व में शनिवार को शिवपुर स्थित रामभट्ट तालाब से अतिक्रमण हटावाया गया। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि तालाब की भूमि पर कथित बाबा ने अवैध निर्माण करा लिया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। पास के धर्मशाला को भी कब्जा मुक्त कराया।

राष्टीय सहारा–दि0 21.07.2024

वीडीए जल्द ही प्रारम्भ करेगा आनलाइन सीलिंग व अवाप्ति की अनापत्ति प्रदान करने की सुविधा

वाराणसी। वीडीए की तरफ से वर्तमान समय में नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमियों का प्रबंधन किया जा रहा है। आम जनमानस को अपनी भूमि के सीलिंग अथवा अवाप्त घोषित भूमि में सम्मिलित नहीं होने अथवा होने के विषय में स्पष्ट जानकारी वांछित रहती है जिसके लिए उन्हें वीडीए में स्वयं उपस्थित होकर ही जानकारी प्राप्त होती है, इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है तथा आम जनमानस को व्यर्थ में भागदौड़ करनी पड़ती है। समस्या के त्वरित एवं आसान समाधान के लिए वीडीए द्वारा उपरोक्त सूचना को आम जनमानस को आनलाइन उपलब्ध कराये जाने के लिए पोर्टल का विकास कराया जा रहा है।